कार्यालय नगर विकास न्यास अलवर

क्रमांक: 11657-59 दिनांक: 25/01/24

1. श्री अशोक गुप्ता पुत्र श्री पूरणमल गुप्ता
2. श्री गिर्राज प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री मंगतुराम अग्रवाल
3. श्री ताराचन्द गुप्ता एचयुएफ कर्ता ताराचन्द गुप्ता पुत्र श्री पूरणमल गुप्ता
4. श्री दीपक खण्डेलवाल पुत्र श्री महेश चन्द खण्डेलवाल
5. श्री सुभाष खण्डेलवाल पुत्र श्री हरिनारायण खण्डेलवाल

निवासी 6/1, एनईबी, अलवर

विषय :- खसरा नंबर 1435/3160, 3565/1436 क्षेत्रफल 9211 वर्गमीटर ग्राम तूलेड़ा, तहसील व जिला अलवर की भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान स्वीकृति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा खसरा नंबर 1435/3160, 3565/1436 क्षेत्रफल 9211 वर्गमीटर ग्राम तूलेड़ा, तहसील व जिला अलवर की भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान स्वीकृति हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 23.11.2023 में विचारार्थ हेतु रखा गया। समिति के निर्णयानुसार ले-आउट प्लान स्वीकृति के मध्य राज्य सरकार के पत्रांक प.18(36)नविवि/एनएएचपी/2014 दिनांक 23.12.2015 के द्वारा 2 हैक्टयर तक के स्वतन्त्र आवास व प्लाटेड डवलपमेन्ट योजना में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि ईडब्ल्यूएस/एलआईजी भूखण्डों के मध्य राशि 26,91,700/-रू0 जर्ये रसीद संख्या 3293/25 दिनांक 10.01.2024 एवं बाह्य विकास शुल्क में 20 प्रतिशत की छूट देते हुये 7,36,880/-रू0 जर्ये रसीद संख्या 3295/13 दिनांक 24.01.2024 द्वारा जमा करा दी गई है। अतः ले-आउट प्लान निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत किया जाता है :-

01. आन्तरिक विकास के मध्य रखे गये 12.5 प्रतिशत में आवासीय भूखण्ड सं0 15, 16, 17, 18 कुल क्षेत्रफल 768.85 वर्गमीटर को तब तक आवेदक द्वारा विक्रय नहीं किया जावेगा, जब तक की विकास कार्य पूर्ण नही हो जावा एवं विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मौके पर सत्यापन होने के पश्चात् उक्त भूखण्डों को रहन मुक्त किया जायेगा एवं प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 15.01.2024 में अंकित शर्तो की पालना करनी होगी।
02. आन्तरिक विकास कार्य विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा एवं दिनांक 15.01.2024 की प्रस्तुत अण्डरटेकिंग की पालना करनी होगी।
03. राज्य सरकार/न्यास द्वारा जारी टाउनशिप पॉलिसी व प्रचलित भवन विनियमों के दिये गये निर्देशों की विकासकर्ता को पालना करनी होगी।
04. राज्य-सरकार के परिपत्र दिनांक 29.09.2021 के अनुसार टेलीकॉम इन्फास्ट्रक्चर यथा मोबाईल टावर हेतु नियमानुसार हेतु भूमि आरक्षित करना आवश्यक होगा।
05. राज्य सरकार/न्यास द्वारा देय राशि की मांग की जाती है वो जमा करानी होगी।
06. नियमानुसार भूखण्डों के पट्टे प्राप्त कर भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
07. टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधान अनुसार योजना का विकास कार्य निर्धारित समयावधि में करना होगा। नियमानुसार पूर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
08. स्वीकृत योजना का (RERA) में पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
09. एकीकृत भवन विनियम/टाउनशिप पॉलिसी के अनुसार वर्षा जल संरक्षण का नियमानुसार प्रावधान करना होगा।
10. ले-आउट प्लान में दर्शाये गये सुविधा क्षेत्र की भूमि को बिना न्यास की स्वीकृति के डवलपर द्वारा विक्रय नहीं किया जावेगा।

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास अलवर	अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास अलवर	सचिव नगर विकास न्यास अलवर

क्रमांक: दिनांक:

प्रतिलिपि :- आवश्यक कार्यवाही एवं वास्ते सूचनार्थ।

01. प्रभारी अधिकारी नियमन, न्यास, अलवर।
02. अधिशाषी अभियन्ता, न्यास, अलवर।

सहायक नगर नियोजक
(सदस्य सचिव)
नगर विकास न्यास, अलवर